परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम व जरिए राज्य की 90 प्रतिशत जनसंख्या को खा और पोषण सुरक्षा सुनिश्चत करना ।	27700000	58.00 लाख हितग्राही परिवार प्रतिमाह इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे।	
2	रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हांकित अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रतिमाह 02 किलो तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रतिमाह 01 किलो आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराया जाता है।	1000000	57.00 लाख राशनकार्ड धारी परिवार इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह लाभान्वित किया जाना	
3	अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रों को प्रोत्साहन सहायता	गरीब एवं जरुरतमन्द व्यक्तियों को अत्यन्त कम मूल्य अर्थात 5 रूपये की दर से भरपेट भोजन उपलब्ध कराना	9207	वर्तमान में संचालित 162 दाल-भात केन्द्रों से प्रतिम 4.20 लाख हितग्राही लाभान्वित है । इस योजना में प्रतिमाह 1999.94 क्विंटल चावल, 12.20 क्विंटल चना तथा 2.64 क्विंटल नमक आबंटित किया जा रहा है । उपरोक्त राशन सामग्री की सब्सिडी राशि तथा प्रत्येक नवीन अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों की स्थापना हेतु 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है ।	
4	अन्नपूर्णा योजना	65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रत रखते है किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलो चावल नि:शुल्क प्रदाय किया जा रहा है ।	9450	योजनांतर्गत 7596 लाभान्वित हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल नि:शुल्क उपलब्ध कराना ।	
5	अंत्योदय अन्न योजना	अति गरीब परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार,	182222		

परिणामी बजट वर्ष 2018–19

विभाग– खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018–19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है।		7.52 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करन ।	
6	शक्कर वितरण योजना	समस्त राशन कार्डधारियों को रियायती दर पर प्रति कार्ड एक किलो शक्कर उपलब्ध कराना है ।	2000000	24.00 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना ।	
7	अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय	राज्य के अनुसूचित विकासखण्डों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रत्येक माह 02 किलोग्राम (प्रति किलो 5 रूपये) की द से चना का वितरण किया जा रहा है ।	4500000	प्रतिमाह 24 लाख कार्डधारियों को चना उपलब्ध कराना।	
8	नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण योजना	नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के एकमुश्त भंडारण हेतु पर्याप्त भंडारण सुविधा तथा राशन कार्डधारियों को सुगमता से प्रत्येक माह राशन सामाग्री उपलब्ध कराने हेतु 50 टन क्षमता वाले दुकान सह गोदाम का निर्माण ।	3	नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के भंडारण हेतु गोदाम निर्माण कराना ।	
9	पहुँचविहीन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में खाद्य भंडारण हेतु सहायता ।	राज्य के ऐसे स्थानों में, जहॉ वर्षाऋतु के दौरा आवागमन अवरूद्ध हो जाते है वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताअ को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है ।	25000	238 पहुंचविहीन दुकानों में वर्षाऋतु के दौरान अग्रिम खाद्यान का भ्ण्डारण कराना	
10	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	03 वर्षो में प्रदेश के 35 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदाय किये जा का निर्णय लिया गया है ।	200000	वित्तीय वर्ष 2018–19 में 10 लाख बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा	

परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
11	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	नाबार्ड के सहायता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण किया जा रहा है ।	105000	नाबार्ड द्वारा खाद्यान्न भण्डारण के लिये गोदाम निर्मा हेतु ऋण वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन का दी जाती है ।	
12	मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	खाद्यान्न एवं दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य में अनावश्यक वृद्धि पर नियंत्रण की योजना है ।	250000	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में अनपेक्षित वृद्धि परिलक्षित होगी, उसके उपार्जन एवं नियंत्रित दर पर वितरण की कार्यवाही की जावेगी	
13	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था करना ।	118300	8000 उचित मूल्य दुकानों का पी.ओ.एस. उपकरण के जरिए कम्प्यूटरीकरण	